फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लक्ष्मीलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 29/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 09.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से जांच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–2081 की खाता संख्या नया 1790 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लच्छीराम पुत्र लालु जाति तेली सा. देह अंकित है। उक्त नाम विरासत से प्रार्थी के नाम की बोल चाल की भाषा के अनुसार लच्छीराम पुत्र लालू जाति तेली हो गया जो वर्तमान सेटलमेंट से चल रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मीलाल पुत्र लालुराम जी जाति तेली होकर सभी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, मतदाता सूची, आयकर कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, बैंक आदि में यही नाम अंकित हैं, प्रार्थी का वास्तविक नाम राजस्व रेकर्ड में लच्छीराम के बजाय लक्ष्मीलाल होना चाहिये, लच्छीराम गलत अंकित है। अतः प्रार्थी द्वारा जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1790 में प्रार्थी का नाम लच्छीराम के बजाय लक्ष्मीलाल पुत्र लालुराम जाति तेली अंकित किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1790 में प्रार्थी का नाम लच्छीराम पिता लालु तेली दर्ज किया हुआ है किन्तु प्रार्थी के दस्तावेजो में वास्तविक नाम लक्ष्मीलाल पिता लालु तेली दर्ज है तथा लोगों द्वारा भी सही नाम लक्ष्मीलाल पिता लालु ही बताया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, जन आधार की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मीलाल पिता लालु तेली है। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–[illegible] 1790 में खातेदार लच्छीराम पुत्र लालू जाति तेली के नाम को संशोधित क[illegible] लच्छीराम पुत्र लालू जाति तेली के बजाय लक्ष्मीलाल पिता लालू जाति [illegible] ते हैं। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जा[illegible] पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:25:01 IST
Reason: SelfAttested